पृष्ठ सं०-

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख
	न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)।	सहित
	वाद संख्या–S.A.R 06/2015-16	
	धारा—छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा—71 (A)	
	डोमन सिंह मुण्डा वगैरहआवेदक / प्रथम पक्ष।	
	बनाम	
	सहदेव सिंह मुण्डा वगैरहविपक्षी / द्वितीय पक्ष।	
	आवेदक के विद्वान अधिवक्ता– श्री दुर्गा प्रसाद राय।	
	विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता— श्री सुखदेव महतो।	
	आदेश	
0202/51/2	प्रस्तत वाद में आवेदक के दारा अपने विदान अधिवक्ता के माध्यम से	

प्रस्तुत वाद में आवेदक के द्वारा अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से धारा—71 (A) छो०का०अधि० के अन्तर्गत भू—वापसी हेतु आवेदन दिया गया है कि मौजा—गोवाली, थाना—चोकाहातु, थाना—सोनाहातु, थाना संख्या—3, खाता नं०—505, प्लॉट नं०—5532, 5536, 5539, 5540, 5541, 5543, 5544, 5548, 5549, 5551, 5553, 5555, 5556, 5557, 5558, एवं 5550 रकवा क्रमशः 0.43 ए०, 0.79 ए०, 0.70 ए०, 0.56 ए०, 0.04 ए०, 0.08 ए०, 0.61 ए०, 1.71 ए०,0.82 ए०, 0.45 ए०, 1.30 ए०, 0.08 ए०, 0.15 ए०, 0.49 ए०, 1.40 ए० एवं 0.36 ए०, जमीन पर विपक्षी ने छल प्रपंज से नाजायज ढंग से कब्जा कर लिया है। आवेदक ने अनुरोध किया है कि छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम धारा—71(ए) के तहत कार्रवाई कर जमीन को वापस दिलाया जाय। आवेदक के आवेदन को पंजीकृत कर नोटिस निर्गत करते हुए वाद की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

प्रथम पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता के कथनानुसार आवेदक अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। उपरोक्त भूमि आर.एस. खतियान में ''बकास्त'' भूमि दर्ज है जो कि खेवट सं०–37 के अंतर्गत नाम लगान पानेवाला मुशमात कांदरी पति गुरूचरण पातर कौम पातर शाकीन देह दर्ज है। खेवट सं०–37 के खेवटदार नावल्द मृत हो गए और खेवट सं०–37 अन्तर्गत कथित खाता सं०–505 का पूर्ण अधिकार नजदीकी खूँट जो कि आर. एस. खेवट सं०–36 है का होता है एवं आवेदकगण खेवट सं०–36 के वंशज हैं। द्वितीय पक्ष के सदस्यगण फर्जी दस्तावेज के आधार पर आवेदकगणों की भूमि को अवैध तरीके कब्जा किया है, यह छो०का०अधि० की धारा–46 का उल्लंघन है जो कि छो०का०अधि० की धारा–71 'ए' के तहत भू–वापसी होना चाहिए।

द्वितीय पक्ष ने अपने कारण पृच्छा में उल्लेख किया है कि विवादित भूमि आवेदगण की है ही नहीं इस स्थिति में यह वाद चलने योग्य नहीं है। विवादित आर.एस. खाता नं०—505, प्लॉट नं०—5540, 5541, 5543, 5544, 5548, 5549, 5551, 5553, 5555, 5556, 5557, 5558, एवं 5550 रकवा क्रमशः 0.56 ए०, 0.04 ए०, 0.08 ए०, 0.61 ए०,1.71 ए०,0.82 ए०, 0.45 ए०, 1.30 ए०, 0.08 ए०, 0.15 ए०, 0.49 ए०, 1.40 ए० एवं 0.36 ए०, जमीन खतियान में मो० कान्दरी बकास्त भूमि के नाम से दर्ज है, जो कि मौजा—गोवाली, थाना—चोकाहातु, थाना—सोनाहातु, के अन्तर्गत है। विवादित भूमि खतियान में बकास्त मालिक प्रकृति का उल्लेखित है और कानूनी सिद्धांत के अनुसार वकास्त मालिक भूमि के पर छो०का०अधि० की धारा—71 'ए' की कार्यवाही नहीं चल सकती है। विवादित भूमि खतियान में मोस्मात कान्दरी के नाम से दर्ज है जो कि खेवट नं०—37 के अन्तर्गत है किन्तु आवेदकगण द्वारा समर्पित खेवट नं०—37 में मोस्मात कान्दनी दर्ज है। खतियान और खेवट में दर्ज नाम में भिन्नता है अतः इस आधार पर भी यह वाद खारिज योग्य है। पृष्ठ सं०-

आदेश के क्रम सं० एवं तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख संहित

यह कि सर्वप्रथम विवादित भूमि टीकेत शिव प्रसाद सिंह देव को दिनांक—01 / 05 / 1934 में सर्टिफिकेट केस नं०—93 / 1934—35 द्वारा प्राप्त हुआ एवं विवादित भूमि पर दखल प्राप्त किया। जिसके पश्चात विवादित भूमि सामान्य खाता का जमीन हो गया जिसपर छो०का०अधि० की धारा–७१ 'ए' का वाद नहीं चल सकता है। तदोपरांत टीकेत शिव प्रसाद सिंह देव ने भी दिनांक–22.01.1958 को निबंधित विक्रय पत्र द्वारा विवादित भमि को (1) राम प्रसाद सिंह मुण्डा पे०-स्व० बैज नाथ सिंह मुण्डा (2) अमीन सिंह मुण्डा, पे०–स्व० घासीराय सिंह मुण्डा, (3) जीतन सिंह मुण्डा, पे०–स्व० बुधराम सिंह मुण्डा (4) लीबू सिंह मुण्डा, पे०-स्व० चैतन मुण्डा (5) कन्हाई सिंह मुण्डा, (6) उधो सिंह मुण्डा दोनों सा०-स्व० तेज सिंह मुण्डा, (7) मुची सिंह मुण्डा पे०-गुणा सिंह मुण्डा, (8) पुसन सिंह मुण्डा पे०-स्व० ओयोबा सिंह मुण्डा, (9) सहदेव सिंह मुण्डा, पे०-स्व० नकुल सिंह मुण्डा जो कि द्वितीय पक्ष के पूर्वज हैं को विक्रय कर दिया। द्वितीय पक्ष सं०–08 एवं 09 विवादित भूमि के साथ ही गांव से अजनबी हैं। विवादित भूमि को प्राप्त कर विपक्षी सदस्य और उनके उत्तराधिकारी अंचल कार्यालय सोनाहातू में अपने नाम से दाखिल खारिज कराये एवं उनके नाम से लगान रसीद भी निर्गत हुआ। वर्त्तमान में विपक्षी द्वारा राज्य सरकार को अमीन सिंह मुण्डा वगैरह के नाम से लगान अदा करते आ रहे हैं। इस तरह से विपक्षी ने विवादित भूमि को नियमानुसार प्राप्त किया है। अतः आवेदक की ओर से भू–वापसी हेतू दायर इस आवेदन को अस्वीकृत करने की कृपा की जाए।

वाद में विपक्षी सोस्टी सिंह मुण्डा की ओर से दिए गए कारण पृच्छा में उल्लेख किया गया है कि विवादित आर.एस. खाता सं०–505, खेसरा सं०–5532, रकवा – 0.43 ए०, खेसरा सं०–5536, रकवा–0.79 ए०, खेसारा सं०–5539, रकवा–0.70 ए० और खेसरा सं०–5543, रकवा–0.08 ए० कुल रकवा–2.00 ए० भूमि राम प्रसाद मुण्डा पे०–बैज नाथ मुण्डा को शिव प्रसाद सिंह देव से निबंधित विक्रय पत्र द्वारा दिनांक–09.06.1954 को प्राप्त हुआ है। इस तरह से विवादित भूमि पर आवेदक का किसी भी तरह है अधिकार, स्वत्व वो दखल नहीं है। विवादित भूमि पूर्व में आदिवासी भूमि थी किंतु शिव प्रसाद सिंह देव से सर्टिफिकेट केस नं०–93 / 1934–35 द्वारा विवादित भूमि प्राप्त कर यह सामान्य खाते की भूमि बन गया जिसपर छो०का०अधि० की धारा–71 'ए' का वाद नहीं चल सकता है। विवादित भूमि प्राप्त करने के पश्चात विपक्षी उक्त भूमि का दाखिल खारिज कराकर अंचल कार्यालय सोनाहातु से विपक्षी के नाम से लगान रसीद निर्गत हो रहा है। इस तरह से विवादित भूमि का अंतरण नियमानुसार हुआ है जिसमें छो०का०अधि० की धारा–46 का उल्लंघन नहीं हुआ है। अतः इस यह वाद चलने योग्य नहीं है। आवेदक का आवेदन खारिज योग्य है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के दलीलों को सुनने एवं उनके द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेजों के परिशीलनोपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचता हूँ कि विवादित भूमि का अंतरण सर्वप्रथम दिनांक–01/05/1934 में सर्टिफिकेट केस नं०–93/1934–35 द्वारा हुआ है जिसके पश्चात पुनः कथित भूमि का अंतरण निबंधित विक्रय पत्र (डीड) द्वारा हुआ है। ऐसी स्थिति में भू–वापसी का मामला नहीं बनता है। अतः आवेदक के द्वारा भू–वापसी हेतु दायर आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। लेखापति एवं संशोधित।

अंग्री र भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू राँची।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू राँची।